न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 15 / 2025 **दायर दिनांकः 03.03.2025**

उनवान

1. प्रेमलता आयु 61 वर्ष पुत्री किशना पत्नी रामप्रताप जाति मेघवाल निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां राज0 हाल निवासी मेघवालों का मोहल्ला सीमलिया जिला कोटा।

प्रार्थिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—
प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनाकः 28.05.2025**

प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आश्य का पेश किया है कि यह कि वाके ग्राम एवं माल खुरी पटवार हल्का खुरी तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की आराजी खाता संख्या 70 का ख.नं. 1131 का रकबा 0.12 हे० तथा खाता संख्या 381 का ख.नं. 1215 का रकबा 0.09 हे0, ख.नं. 1231 का रकबा 1.22 हे0, ख.नं. 581 का रकबा 2.11 हे0 कुल किता 3 का रकबा 3.42 हेक्टर तथा खाता संख्या 229 का ख.नं. 246 / 1532 का रकबा 0. 15 हे०, ख.नं. 247 का रकबा 1.37 हे0 कुल किता 2 का रकबा 1.52 हे0 आराजी तथा ग्राम दीवाली पटवार हल्का खुरी तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या 252 का ख.नं. 595 का रकबा 2.15 हे0, ख.नं. 599 का रकबा 0.34 हे०, ख.नं. 600 का रकबा 0.15 हे0, ख.नं. 606 / 1142 का रकबा 0. 07 हे० कुल किता 4 का रकबा 2.71 हे० आराजी प्रार्थिया के अन्य सहखातेदारान के साथ दर्ज खाता स्थित है। नवीन नकल जमाबन्दी साथ में संलग्न है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में आपके अधीनस्थ कर्मचारीगण ने प्रार्थिया को घर पर कैलाशबाई कहने के कारण प्रार्थिया का गलत नाम कैलाशबाई दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थिया का सही नाम प्रेमलता है। प्रार्थिया के दस्तावेज आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, बैंक पास बुक, राशन कार्ड, पहचान पत्र में प्रार्थिया का

सही नाम प्रेमलता दर्ज है। बिना सहायता न्यायालय प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित ग्राम खुरी की आराजी खाता संख्या 70, 381, 229 तथा ग्राम दीवाली की खाता संख्या 252 में प्रार्थिया का नाम कैलाशबाई के स्थान पर प्रेमलता दर्ज करवाया जाना सम्भव नही है। अगर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम सही दर्ज नही किया गया तो प्रार्थिया को अपरिमित क्षति होगी तथा अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा तथा सरकारी सहायता से वंचित होना पड़ेगा। अस्तु प्रार्थिया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम कैलाशबाई के स्थान पर सही नाम प्रेमलता दर्ज किया जावे। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थिया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल०आर०एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित ग्राम खुरी की आराजी खाता संख्या 70, 381, 229 तथा ग्राम दीवाली की खाता संख्या 252 में प्रार्थिया का नाम कैलाशबाई के स्थान पर सही नाम प्रेमलता दर्ज करने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2025/1172 दिनांक 28.04.2025 को शामिल फाईल किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थीया की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थीया की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल खुरी सम्वत 2074–77 खाता संख्या 70, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल खुरी सम्वत 2074–77 खाता संख्या 381, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल दीवाली सम्वत 2070–73 खाता संख्या 252, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल खुरी सम्वत 2074–77 खाता संख्या 229, मतदाता पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड व शपथ पत्र साक्ष्य गवाहान सूरजमल पुत्र श्री किशनलाल जाति मेघवाल निवासी खुरी व केशर बाई पत्नी किशनलाल जाति मेघवाल निवासी खुरी व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अनुसार कैलाश बाई पुत्री किशना जाति मेघवाल का सही नाम कैलाश बाई पुत्री किशना जाति मेघवाल ही है तथा प्रेमलता नाम पर अनभिज्ञता जाहिर की है।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण, साक्ष्य प्रार्थीया तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल खुरी पटवार हल्का खुरी तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या 70 का ख.नं. 1131 का रकबा 0.12 हे० तथा खाता संख्या 381 का ख.नं. 1215 का रकबा 0.09 हे0, ख.नं. 1231 का रकबा 1.22 हे0, ख.नं. 581 का रकबा 2.11 हे0 कुल किता 3 का रकबा 3.42 हेक्टर तथा खाता संख्या 229 का ख.नं. 246/1532 का रकबा 0.15 हे०, ख.नं. 247 का रकबा 1.37 हे0 कुल किता 2 का रकबा 1.52 हे0 आराजी तथा ग्राम दीवाली पटवार हल्का खुरी तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या 252 का ख.नं. 595 का रकबा 2.15 हे0, ख.नं. 599 का रकबा 0.34 हे०, ख.नं. 600 का रकबा 0.15 हे0, ख.नं. 606/1142 का रकबा 0.07 हे० कुल किता 4 का रकबा 2.71 हे० आराजी में सह खातेदार केलाश बाई पुत्री किशना के स्थान पर प्रेमलता पुत्री किशना किये जाने पर खातेदारी अधिकारों में परिवर्तन होना प्रतीत होता है।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत मूल रूप से खातेदारी अधिकारों में किसी प्रकार का परिवर्तन नही किया जा सकता। अतः प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट खारिज फरमाया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां